भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 944

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

विधिक जागरूकता शिविर

944. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

श्री भोजराज नाग :

श्री पी. पी. चौधरी :

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :

श्री रमेश अवस्थी :

श्रीमती स्मिता उदय वाघ :

श्री जनार्दन मिश्राः

श्री सुरेश कुमार कश्यप :

सुश्री कंगना रनौत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ बनाने में सरकार की जिला/राज्यवार प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में, विशेषकर राजस्थान में कितने विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए ;

(ग) देश भर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों और कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा है और उनका कितना विस्तार हुआ है ;

(घ) पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में निःशुल्क कानूनी रक्षा प्रदान करने में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) का दायरा और उनकी कार्यान्वयन स्थिति क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं ;

(ङ) क्या एलएडीसीएस और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कोई कार्य- निष्पादन मूल्यांकन किया गया है या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है ; और

(च) क्या अल्पसेवित क्षेत्रों, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता की अवसंरचना, जागरूकता या प्रशिक्षण का विस्तार के करने लिए कोई विशेष पहल की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन सम्मिलित किए गए लाभार्थी भी शामिल हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। इसके अतिरिक्त, नालसा ने निवारक और रणनीतिक विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न योजनाएं भी तैयार की हैं, जिन्हें विभिन्न स्तरों जैसे राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए गए विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **उपाबंध-क** में है । तथापि, जिले-वार जानकारी नालसा द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) : विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा देश भर में बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों और योजनाओं के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों में वितरण के लिए विभिन्न विधियों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएँ और पैम्फलेट भी तैयार करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में (राजस्थान सहित) विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविरों/कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	राजस्थान में आयोजित विधिक जागरूकता	उपस्थित व्यक्तियों की	देश भर में आयोजित विधिक जागरूकता	उपस्थित व्यक्तियों की

	कार्यक्रम	संख्या	कार्यक्रम	संख्या
2022-23	1,42,253	65,28,772	4,90,055	6,75,17,665
2023-24	72,331	56,40,045	4,30,306	4,49,22,092
2024-25	62,011	33,62,084	4,62,988	3,72,32,850
कुल	2,76,595	1,55,30,901	13,83,349	14,96,72,607

(घ) : भारत सरकार 2023-24 से नालसा के माध्यम से विधिक सहायता बचाव परामर्शदाता प्रणाली (एलएडीसीएस) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना भी लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता के पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान करना है। 30 जून 2025 तक देश भर के 662 जिलों में एलएडीसी कार्यालय कार्यरत हैं। स्थापना के बाद से, विधिक सहायता बचाव परामर्शदाताओं (एलएडीसी) को 8,69,243 आपराधिक मामले सौंपे गए हैं, जिनमें से 5,85,255 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

(ङ) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ) विनियम, 2010 सभी स्तरों, अर्थात् उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) और तालुका विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) पर निगरानी और परामर्श समिति (एमएमसी) के माध्यम से विधिक सहायता सेवाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु एक सुदृढ़ ढाँचा प्रदान करते हैं। ये समितियाँ न्यायालय-आधारित विधिक सहायता वितरण की देखरेख, सौंपे गए मामलों की प्रगति की निगरानी, और गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएँ प्रदान करने में पैनल वकीलों एवं विधिक सहायता बचाव परामर्शदाताओं (एलएडीसी) का मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी हैं।

एमएमसी विधिक सहायता मामलों की दिन-प्रतिदिन की प्रगति और अंतिम परिणामों पर नज़र रखने के लिए रजिस्टर बनाए रखते हैं। वे विधिक सहायता वकीलों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, उनके प्रदर्शन का आकलन करते हैं, और प्रगति असंतोषजनक होने पर संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह देते हैं। यह निरंतर अनुवर्ती तंत्र विधिक सेवाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करती है। एमएमसी वकीलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करती हैं ताकि कम प्रदर्शन या कदाचार की पहचान की जा सके। इसके अतिरिक्त, एलएडीसीएस के अधीन कार्यरत प्रत्येक मानव संसाधन के प्रदर्शन का मूल्यांकन एसएलएसए द्वारा एसएलएसए के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हर छह महीने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एलएडीसी द्वारा किए गए मामला कार्य की

मासिक रिपोर्टिंग एसएलएसए द्वारा एनएएलएसए को की जाती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय पर निगरानी और डेटा-आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित होता है।

(च) : कानूनी सहायता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विधिक जागरूकता बढ़ाने और विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) नालसा (संवाद - हाशिये पर पड़े, कमजोर आदिवासियों और अधिसूचित न किए गए/घुमंतू जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करना) योजना, 2025 जो जागरूकता और सहायता पर आधारित समुदाय-संचालित दृष्टिकोण को अपनाकर विशेष रूप से हाशिये पर पड़े आदिवासी और घुमंतू समुदायों पर ध्यान केंद्रित करती है।

(ii) नालसा जागृति - (जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता पहल के लिए न्याय जागरूकता) योजना, 2025 जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में विधिक जागरूकता को संस्थागत बनाना है।

****

उपाबंध-क

विधिक जागरूकता शिविर के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 944, जिसका उत्तर तारीख 25.07.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अधीन विधिक सहायता और सलाह से लाभान्वित व्यक्तियों को दर्शित करने वाला विवरण ।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	134	220	341
2	आंध्र प्रदेश	9,473	8,265	11,266
3	अरुणाचल प्रदेश	5,559	5,696	9,236
4	असम	38,335	63,749	82,694
5	बिहार	2,09,809	1,51,413	84,505
6	चंडीगढ़	2,653	2,822	2,951
7	छत्तीसगढ	44,106	62,164	80,874
8	दादरा और नागर हवेली	28	55	45
	दमण और दीव	24	34	119
9	दिल्ली	96,433	1,21,882	76,526
10	गोवा	2,041	1,558	1,889
11	गुजरात	32,422	40,569	50,467
12	हरियाणा	43,098	76,863	82,194
13	हिमाचल प्रदेश	5,998	7,346	6,222
14	जम्मू-कश्मीर	7,992	11,396	18,602
15	झारखंड	1,45,217	2,69,303	3,28,365
16	कर्नाटक	45,663	53,406	51,245
17	केरल	23,418	36,498	26,571
18	लद्दाख	711	505	324
19	लक्षद्वीप	0	0	1
20	मध्य प्रदेश	1,91,921	2,25,510	2,33,009
21	महाराष्ट्र	36,663	53,756	59,454
22	मणिपुर	26,929	62,635	99,062
23	मेघालय	2,769	2,371	2,754
24	मिजोरम	5,038	4,801	3,713
25	नागालैंड	7,390	4,603	5,012
26	ओडिशा	11,880	19,289	22,134
27	पुडूचेरी	788	621	616
28	पंजाब	56,448	60,361	65,513
29	राजस्थान	13,472	20,290	22,216
30	सिक्किम	1,127	1,074	901
31	तमिलनाडु	49,570	45,180	52,528
32	तेलंगाना	12,615	13,193	16,021
33	त्रिपुरा	5,055	9,964	10,303
34	उत्तर प्रदेश	24,890	29,079	22,732
35	उत्तराखंड	5,386	21,339	34,208
36	पश्चिमी बंगाल	49,714	62,354	92,914
कुल		**12,14,769**	**15,50,164**	**16,57,527**

****